(ग) यदि कोई बंदी जेल के कर्मचारियों को घूंस न दे, तो क्या उसे "40 चक्की" में रखा जाता है और उस की बेड़ियां डाल दी जाती हैं और क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जेल में कर्मचारियों की अनुपस्थिति में बंदियों से जांच करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि,न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) (क) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कैदियों को बिस्तर के लिए निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(1) साधारन कैदी

दरी	1	सभी ऋतुओं के लिए
मंज की चटाई	1	
कम्बल	1	

यदि दरी और चटाई उपलब्ध न हो तो प्रत्येक कैदी को दरी और चटाई के बदले में एक कम्बल दिया जाता है ।

जाडे के मौसम में उपर्यक्त के अतिरिक्त उन्हें एक रजाई–अथवा 3 कम्बल दिए जाते हैं ।

(2) बेहतर श्रेणी के कैदी

चादर	2	सभी ऋतुओं के लिए
दरी	1	
चटाई	1	
तकिया	1	
कम्बल	1	

चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर मच्छरदानी दी जाती है ।

जाड़ों में उपर्युक्त के अतिरिक्त एक रजाई अथवा 3 कम्बल दिये जाते हैं ।

(ख) कैदियों द्वारा कोई सफाई का कार्य नहीं किया जाता है । जेल में फ्लश प्रणाली होने के कारण शौचालयों और नालियों की सफाई सरकारी सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें सजायाफ्ता सफाई कर्मचारियों द्वारा मदद दी जाती है । तथापि कैदियों को अपने रहने के स्थान को साफ रखना होता है ।

(ग) और (घ). जेल अपराध करने वालों और जिन्हें दूसरे वार्डों में अपनी सुरक्षा का खतरा है और जो 40 चक्की वार्ड में रहने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उन के लिए यह वार्ड बनाया गया है । जेल अधीक्षक के लिखित आदेश के बिना किसी भी कैदी को इस वार्ड में बंद नहीं किया जा सकता । जेल के कर्मचारियों को रिश्वत न देने के कारण किसी कैदी को "40 चक्की" वार्ड में नहीं भेजा जाता है और बेड़ियां नहीं पहनाई जाती हैं । अतः यहां इस बारे में कैदियों से कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है ।

Funds for tribal sub-plan

10204. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the measures taken by his Ministry and advised to the States to check the wasteful expenditures, timely utilisation of funds, non-divertibility of funds of tribal areas earmarked by the States and Central Ministries;

(b) measures taken by the States in this regard; and

(c) how far the new financial administrative machineries for the tirbal development fulfilled the objectives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) In order to check wasteful expenditure, norms have been prescribed in various sectors like agriculture, education and health. Timely utilisation of funds is sought to be achieved by advance planning, timely issue of sanctions and implementation in the field. Most States concerned with tribal development have accepted the principle of non-divertibility of funds earmarked for tribal areas and the matter is being pursued with Central Ministries.

(b) Sub-Plans have been drawn up in all the concerned States and Union Territories and the Sub-Plan areas have been divided for operational purposes into 180 Integrated Tribal Development Projects. Suitable programmes are drawn up having regard to the needs of the project areas. The States have separately budgeted the amounts provided for the Tribal Sub-Plan Areas so as to ensure non-divertibility of funds. Senior Officers have been appointed to be in charge of the Tribal Sub-Plan programmes and financial and administrative powers have been delegated to Project functionaries.

(c) The programmes under Tribal Sub-Plans have been gathering momen-